राजस्थान सरकार
बाल अधिकारिता विभाग
राजस्थान स्टेट चाईल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

20/198, कावेरी पथ, सेक्टर 2, मानसरोवर, जयपुर।
फोन नं-0141-2399335, 2399336, ई-मेल- dcr.raj@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ 23(2)(1)/ग्रुप फोस्टर केयर/ गो.धा.यो./ बा.अ.वि./2021/ 8653/

जयपुर, दिनांकः 07.06.2021

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

राज्य सरकार द्वारा ग्रुप फोस्टर केयर (सामूहिक पालन-पोषण देखरेख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ''गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना दिशा-निर्देश, 2021'' लागू किये गये हैं। ग्रुप फोस्टर केयर के तहत 0-18 वर्ष आयु के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बालक/बालिका जिन्हें लंबे समय तक परिवार आधारित देखरेख की आवश्यकता है के लिये प्रत्येक जिला स्तर पर गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी का संचालन किया जायेगा।

गोरा धाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटी के संचालन हेतु पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अपने प्रस्ताव दिनांक 23.06.2021 तक संबंधित जिला बाल संरक्षण इकाई (बाल अधिकारिता विभाग) को प्रस्तुत किये जा सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, जिला कार्यालय से किसी भी कार्य-दिवस में कार्यालय समय में अथवा विभागीय वेबसाइट www.sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(महेश चन्द्र शर्मा)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

DIPR/C/5437/2021

Scanned with CamScanner